न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 00058/2020

उनवान

1. केसर पुत्री कुरीया बलाई जाति बलाई निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादीगण

बनाम

1. कालिया पिता धुलिया बलाई जाति बलाई निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी हाल अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक30.12.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हेक्टर, 2957 रकबा 0.03 हेक्टर कुल रकबा 0.04 हेक्टर भूमि वाके गांव जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित है। वादीया की भूमि पैतृक होकर वादीया अपने पिता के समय से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया की भूमि सडक से लगी होकर आराजी नम्बर 2956 रकबा 0.01 हेक्टर सडक सीमा मे होने से किसी भी व्यक्ति को उसमे निर्माण का अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादी सडक सीमा मे निर्माण करने नींव खोद रहा है जबकि ठिक सामने नाला होकर पुल बना है। उक्त प्रतिवादी पुल का मार्ग अवरूद्ध कर उसमे निर्माण करने आमादा होकर वादीया की भूमि 2956 व 2957 मे निर्माण करने जा रहा है व मटेरीयल इकट्ठा कर रहा है। वादीया को जानकारी होने पर रोकने गई की इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नही है। यह जमीन हमारी होकर सडक सीमा मे आती है तथा जहा तुमने पत्थर डाले है उस जगह नाला होकर पुरे गांव का पानी जाता है यहा अतिक्रमण नही कर सकते। इस पर प्रतिवादी लडाई झगडे पर उतारू होकर धमकी देने लगे की इस जमीन पर मै निर्माण करके रहगा। सडक सीमा हो या कुछ ओर तुम मुझे नही रोक सकती यदी मुझे रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारे लिये अच्छा नही रहेगा। प्रतिवादी का वादीया की भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादी लडाई झगडा कर अनाधिकृत रूप से गैरकानुनी रूप से वादीया की भूमि हडपने हेतु मौके पर लडाई झगडा कर निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण करने आमादा है। प्रतिवादी को वादीया की भूमि मे जबरन निर्माण करने से, अतिक्रमण करने से नही रोका जाता है तो वादीया का अपूर्ण क्षति होगी जिसका रूपयो मे मूल्यांकर संभव नही है तथा वादीया अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पायेंगी तथा सडक की चौडाई प्रभावित होने से दुर्घटनाए होने की संभावना बढ जायेगी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

तथा वादीया संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेंगी। वादीया का वाद हेतु वाद दर्ज होने से 04 रोज पुर्व वादीया की भूमि मे प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण कर जबरन निर्माण करने उतारू होकर कब्जा करने का प्रयास करने व वादीया द्वारा समझाने पर भी नही मान अतिक्रमण पर उतारू होने व लडाई झगडा करने से उत्पन्न हुआ है। वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर वादीया की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 01 किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, निर्माण नही करे व भूमि को क्षतिग्रस्त नही करे एवं न किसी से करावे। दौराने वाद किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करे या अतिक्रमण या निर्माण कर लेवे तो जरिये आज्ञापक आदेश हटाया जाने तथा उचित दादरसी जो न्यायालय उचित समझे दिलाये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से श्री तस्लीम अहमद अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी की ओर से जवाब मय काउन्टरसूट पेश कर कथन किया कि सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 है. व सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. कुल रकबा 0.04 है. वाके गांव जौलाना प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी होकर प्रतिवादी सं. 1 खाते व कब्जे की है उक्त सर्वे नं. 3665/2502 रकबा 4 बिस्वा धुलिया पिता श्री खेमा बलाई प्रतिवादी सं. 1 के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड था जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने काफी रूपया खर्च कर भराव भरवाया व 15 आम के पेड व फलदार पेड व बाउण्ड्रीवाल बनाकर उनके परिजन मकान बनाकर रह रहे है व उपयोग उपभोग कर रहे है जिसके नये नम्बर 2956 व 2957 कायम किये गये है जिस पर वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जो प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में होकर सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 है. प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज रेकार्ड है किन्तु सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. वादीया के खाते से निरस्तकर प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड करना आवश्यक है। क्योकि वादीया का उक्त भूमि पर न तो हक, हित, कब्जा व स्वामित्व नहीं है। उक्त भूमि वादीया की पैतृक नहीं है न ही वादीया के हक हित व हिस्से व कब्जे की है न वादीया उपयोग उपभोग कर रही है। सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 है. व सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. कुल रकबा 0.04 है. वाके गांव जौलाना तहसील गढी जिला बासंवाडा राजस्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ने काफी रूपया खर्च कर भराव भरवाया व 15 आम के पेड व फलदार पेड व बाउण्ड्रीवाल बनाकर उनके परिजन मकान बनाकर रह रहे है व उपयोग उपभोग कर रहे है जिसके नये नम्बर 2956 व 2957 कायम किये गये है जिस पर वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जो प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में होकर सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 है. प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज रेकार्ड है किन्तु सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. वादीया के खाते से निरस्त कर प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड करना आवश्यक है। क्योकि वादीया का उक्त भूमि पर न तो हक, हित, कब्जा व स्वामित्व नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि पर पूर्व से ही निर्माण पूर्ण हो चुका है वर्तमान में कोई निर्माण नहीं चल रहा है। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त निर्माण अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट लगा रखा है जिसमें वादीया व अन्य को कोई दखलन्दाजी नहीं है। वादीया का मौके पर न तो स्वामित्व है न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

आधिपत्य है ऐसी स्थिति में **No Possession No injuction** के सिद्धांत के आधार पर वादीया को धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादीया का वाद काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 1 को रोका गया तो प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी पैतृक हिस्से व कब्जे व खाते की भूमि पर जो लाखों रूपया खर्च कर कृषि हेतु उपयोगी बनाई व बाउण्ड्री व गेट लगा कर सुरक्षा की है से वंचित हो जायेगा व वादीया की अपेक्षा प्रतिवादी सं. 1 को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका रूपयो मे मुल्यांकन नहीं हो सकेगा व वाद की बाहुल्यता बढ जायेगी जिसे रोकना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 1 ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है अपितु उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता के समय से कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसमें सम्पूर्ण खर्चा प्रतिवादी सं. 1 ने ही किया है ऐसी स्थिति में **Couse of Action** के अभाव में वादीया का वाद काबील निरस्ती के है । वादीया का न तो मौके पर स्वामित्व व आधिपत्य है न कभी रहा है ऐसी स्थिति में वादीया आज्ञापक पाने की अधिकारी नही है क्योकि वादीया का वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का है ऐसी स्थिति में आज्ञापक आदेश की न्यायशुल्क अदा न करने व वाद न होने से वादीया आज्ञापक आदेश का अनुतोष कानूनन मेन्टेनेबल न होकर काबील निरस्ती के है । प्रतिवादी सं. 2 भूमि धारी है एंव सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार के अनुतोष हेतु धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना आवश्यक है जिसके अभाव में वादीया का वाद काबील निरस्ती के है । प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया के विरूद्ध धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे नियमानुसार काउण्टरसुट पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 है. व सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. कुल रकबा 0.04 है. वाके गांव जौलाना तहसील गढी जिला बासंवाडा राजस्थान प्रतिवादी सं. 1 ने काफी रूपया खर्च कर भराव भरवाया व 15 आम के पेड व फलदार पेड व बाउण्ड्रीवाल बनाकर उनके परिजन मकान बनाकर रह रहे है व उपयोग उपभोग कर रहे है जिसके नये नम्बर 2956 व 2957 कायम किये गये है जिसमे से सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 है. तो प्रतिवादी सं. 1 के खाते मे दर्ज रेकार्ड कर दिया किन्तु सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. जिस पर वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जो प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से के होकर वादीया के खाते से निरस्त कर प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड करना रह गया जिसे प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज करना आवश्यक है । क्योकि वादीया का उक्त भूमि पर न तो हक, हित, कब्जा व स्वामित्व नहीं है एंव वादीया के धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे खातेदारी अधिकार [illegible] को सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. का खातेदार घोषित [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया [illegible] द्वारा वाद प्रस्तुत करने से अदालत हाजा मे उत्पन्न हुआ है । [illegible] 1 का काउन्टरसुट स्वीकार कर सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है. कुल रकबा 0.04 है. वाके गांव जौलाना तहसील गढी जिला बासंवाडा राजस्थान का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित कर वादीया के खाते से निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

करने की डिक्री प्रतिवादी सं. 2 जारी किये जाने एंव अन्य न्यायोचित अनुतोष धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिलाये जाने का निवेदन किया।

वादीया द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब तथा जवाब उल जवाब एवं काउण्टरसुट का जवाब पेश कर कथन किया कि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 2957 रकबा 0.03 हे0 कुल रकबा 0.04 हे0 वादीया की है। तथा उस पर प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि है। जो उसको उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी जबरन वादीया की भूमि में अतिकमण करने आमादा है तथा वादीया के साथ लडाई झगडा कर डराधमका कर वादीया की भूमि हडपने का प्रयास कर रहे है तथा इसी आशय में वादीया के साथ मारपीट की है। प्रतिवादी जबरन लडाई झगडा कर अतिक्मरण करने आमादा है वादग्रस्त भूमि पर वादीया का ही एकमात्र कब्जा है। वादीया की भूमि पर प्रतिवादी को अतिक्मरण से नहीं रोका जाता है तो वादीया अपनी भूमि के उपयोग व उपभाग से वंचित हो जाएगी। काउण्टरसुट का जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर वादीया का कब्जा होकर उसी के पेड लगे है तथा वर्षो से उस पर काबिज है। तथा प्रतिवादी इस भूमि पर खातेदार बन नहीं सकता है।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर वादी साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किया:–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
केसर पुत्री कुरीया बलाई	बलाई	जौलाना तहसील हाल अरथूना	PW-1

प्रकण में केसर पुत्री कुरीया जाति बलाई PW-1 द्वारा शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 एवं सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 कुल 0.04 हे0 भूमि वाके गांव जौलाना में स्थित है। वादीया की भूमि पैतृक होकर वादीया अपने पिता के समय से भूमि का उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। वादीया की भूमि सडक से लगी होकर सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 सडक सीमा में होने से किसी को इसमें निर्माण का अधिकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादी सडक सीमा में निर्माण करने नींव खोद रहा है। जबकि ठीक सामने नाला होकर पुल बना है। उक्त प्रतिवादी पुल का मार्ग अवरूद्ध कर उसमें निर्माण करने आमादा होकर वादीया की भूमि सर्वे नम्बर 2956 व 2957 में निर्माण करने जा रहा है। व मटेरीयल डाल रहा है वादीया रोकने गई तो प्रतिवादी लडाई झगडा पर आमादा हुआ। प्रतिवादी की वादीया की भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। वादीया का वाद हेतु वाद दर्ज होने के 4 रोज पूर्व जबरन अतिक्मरण का प्रयास करने तथा रोकने पर प्रतिवादी के नहीं मानने से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी को अवैध निर्माण से नहीं रोका जाता है तो वादीया की भूमि के पास सडक की चौडाई प्रभावित होगी तथा मौके पर दुर्घटनाए होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

* PW-1 केसर पुत्री कुरिया द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2063 से 66 प्रदर्श – 1 पेश की। प्रतिवादी अभिभाषक को वादी के गवाह से जिरह हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर जिरह नहीं की जाने पर जिरह का अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किया:–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
कालिया पिता धुलिया जाति	बलाई	निवासी जौलाना हाल तहसील अरथूना	DW-1

प्रकरण में कालिया पिता धुलिया जाति बलाई DW-1 द्वारा शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 एवं सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 कुल 0.04 हे0, वाके गांव जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित नही है एवं उक्त वर्णित भूमि वादीया की पैतृक भूमि नही होकर के वादीया अपने पिता के समय से उसका उपभोग–उपयोग करती नही चली आ रही है बल्कि मुझ प्रतिवादी कालिया पिता धुलिया के स्वामित्व व आधिपत्य के कब्जे काश्त का खातेदारी का खाता नम्बर 61 (नया), 47 (पुराना) के खसरा नम्बर 2955 रकबा 0.1500 हे0, 2979 रकबा 0.11000 हे0 व 4286 रकबा 0.2400 एयर, कुल लगानी 6.52 पैसा, वाके गांव जौलाना, पटवार हल्का जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है और उक्त वर्णित आराजीयात पर मैं प्रतिवादी कालिया अपने पिता के जीवनकाल से कृषि कार्य करता चला आ रहा हूं एवं राज्य सरकार में लगान भी अदा करता चला आ रहा हूं तथा मेरे सर्वे नम्बर 2955 में (2502 व 2501) दोनों सर्वे नम्बर मिले हुए है, लेकिन 3665/2502 रकबा 4 बिस्वा के 2956 रकबा 0.1 एयर एवं 2957 रकबा 0.0300 एयर कृषि भूमि भू–प्रबंध विभाग द्वारा अलग से दर्ज है, जिस पर भी मेरा ही एकमात्र स्वामित्व व कब्जा है और मेरे पिता श्री धुलिया पुत्र खेमा के एकल स्वामित्व व आधिपत्य का उक्त खाता रियासत के समय से संवत 2001 से पूर्व का है तथा मेरे पिता ने उक्त आराजी पर निर्बाध निरंतर रुप से कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपभोग–उपयोग किया है और मैं, अपने पिता के साथ ही उनके जीवनकाल में और उनके स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् भी उक्त वर्णित आराजीयात में काश्त करता चला आ रहा हूं तथा सर्वे नं. 3665/2502 जिसके नये नम्बर 2956 व 2957 है जो कि कुल 04 बिस्वा कृषि भूमि है तथा उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में ... थी तथा उक्त सर्वे नं. 3665/2502 के नये नम्बर 2956 व 2957 का कब्जा काश्त ... मौके पर मेरे पास मौजुद है और उक्त काश्त भूमि पर मैं ही कृषि कर रहा हूं और उक्त वर्णित दोनों खसरा सर्वे नम्बरान में मैने वर्तमान में मक्का की फसल बोई है जो वर्तमान में मौजुद है। मेरे पुराने सर्वे नम्बर 3665/2502 जिसके नये नम्बर 2956 व 2957 है, मैने उक्त सर्वे नम्बरान को कृषि सुधार कर कृषि योग्य बनाया है व उक्त आराजी में मैनें कृषि मिट्टी भरकर खेत का लेवल कर चारों और से बाउण्ड्रीवॉल बना रखी है जो 10 फीट ऊँची है तथा पत्थर की बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

और हर 10 फीट की दूरी पर इस बाउण्ड्रीवॉल में मैंने लोहे के सलिये भी डलवाये है ताकि मजबुती रहे और बाउण्ड्रीवॉल में उपरोक्त सर्वे नम्बरान में आने जाने के लिये लोहे का बडा गेट मैनें लगवा रखा है जो मौजुद है तथा उक्त आराजी से पानी बाहर निकालने हेतु मैनें 10 सिमेन्ट के पाईप लगा रखे है जिसमें ज्यादा पानी होने पर खेत से पानी बाहर निकलता है। कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0, 2957 रकबा 0.03 हे0, कुल 0.04 हे0 भूमि वादीया की पैतृक भूमि नही है और न ही कभी रही है और इसका उपयोग–उपभोग वादीया ने अपने पिता के समय से कभी नही किया है और न ही वर्तमान में कर रही है बल्कि आरंभ से ही उक्त दोनों सर्वे नम्बरान पर मुझ प्रतिवादी कालिया एवं मेरे पिता के जीवनकाल में हमारा ही स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जा काश्त रहा है और तब से आज तक निरन्तर शांतिपूर्वक मेरा कब्जा मौके पर मौजुद है। वादीया का यह कथन असत्य व निराधार है कि, आराजी सर्वे नं. 2956 रकबा 0.01 एयर सडक सीमा में होने से किसी भी व्यक्ति को निर्माण का अधिकार नही है। जबकि सच्चाई यह है कि आराजी नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 सडक सीमामें नही है और आराजी नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भी सडक सीमा में नही है। सडक सीमा में निर्माण प्रतिवादी कालिया नही कर रहा है और न ही नींव खोद रहा है। किसी भी पुल या नाला मौके पर बना हुआ नही है और ऐसी स्थिति में पुल का मार्ग अवरुद्ध कर निर्माण करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। जब वादीया की भूमि आराजी सर्वे नम्बर 2956 व 2957 मौके पर मौजुद ही नही है तो उसमें मटेरियल डालने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है और वादीया के साथ प्रतिवादी कभी कोई लडाई–झगडा नही किया है और लडाई–झगडे पर आमदा भी नही हुआ है। प्रतिवादी ने कभी भी जबरन अतिक्रमण करने का कोई प्रयास नही किया और जब उक्त दोनों आराजी सर्वे नम्बर बाउण्ड्रीवॉल के भीतर मुझ प्रतिवादी के मौजुद है, ऐसे में अवैध निर्माण करने और सडक की चौडाई प्रभावित होने और मौके पर दुर्घटनायें होने का वादीया का कथन असत्य व निराधार है। वादीया श्रीमती केसर ने अपने वाद–पत्र के साथ कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत ही नही किया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 2957 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर जिसे एयर भी कहां गया है, वाके जौलाना, पटवार हल्का जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित उक्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि होकर वादीया अपने पिता के समय से उपभोग–उपयोग करती चली आ रही है। वादीया श्रीमती केसर के पिता श्री कुरिया बलाई ने अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित सर्वे नम्बरान की भूमि को क्रय किया हो या उन्हें एलॉट हुई हो [illegible] उन्होंने नोतोड निकाली हो, ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण वादीया [illegible] उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा ने प्रकरण संख्या 135 [illegible] वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, निर्णय व [illegible] दिनांक 20.12.2011 को भी यह डिक्री पारित की है कि, वादी कालिया का मौजा जौलाना की प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा काश्त है तथा उक्त खसरा नम्बर 2955 व 2956 रकबा 0.1 हे0 की भूमि भी सम्मिलित है लेकिन सेहवन से भू–प्रबंध विभाग ने प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दी। जबकि वादी कालिया काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी वादी कालिया के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

किये जाने व प्रतिवादी कुरिया वादी कालिया के कब्जे काश्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करे व अन्य से न करावे, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 भूमि वादी कालिया के नाम दर्ज करने की आज्ञा तहसीदार गढ़ी को दी गई थी। उक्त निर्णय की डिक्री जो आप माननीय न्यायालय द्वारा ही मुझ कालिया के पक्ष में दिनांक 20.11.2011 को पारित की गई थी वह आज भी प्रभावशील है और इस डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी कुरिया ने अपने जीवनकाल में कोई अपील प्रस्तुत नही की थी। ऐसी स्थिति में वर्तमान में वादीया श्रीमती केसर पुत्री कुरिया बलाई का उक्त सर्वे नम्बरान को अपने स्वामित्व, उपभोग व उपयोग का बताना व पैतृक भूमि बताना स्वतः ही गलत प्रमाणित होता है और राजस्व रेकॉर्ड के विपरित सच्चाई छिपाते हुए वाद चरण संख्या 1 से लगायत 11 में करव दादरसी में झुठे कथन कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही है, जो काबिल निरस्ती है। जमाबंदी संवत 2075–2078 ग्राम जौलाना, पटवार हल्का जौलाना, तहसील गढ़ी खाता संख्या नया 112 व पुराना खाता संख्या 68 में भी खसरा संख्या 2956 क्षेत्रफल 0.0100 मुझ प्रतिवादी कालिया जो कि काउन्टर–सूट का वादी है, के नाम ही खातेदार कृषक के रुप में दर्ज है। इसके बावजुद भी वादीया ने सच्चाई को छुपाते हुए अपने वाद में उक्त सर्वे नम्बर खसरा संख्या को भी अपने स्वामित्व व आधिपत्य का बताकर पैतृक भूमि बताया है जो सही नही है । मैनें काउन्टर–सूट वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। काउन्टर–सूट में मैं प्रतिवादी कालिया वादी हूं एवं काउन्टर सूट की प्रतिवादी श्रीमती केसर है एवं मेरा आराजी सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 है व सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0. 03 है, जो कुल रकबा 0.04 है जो वाके जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है एवं मैनें काफी रुपया खर्च कर मिट्टी का भराव करवाया एवं कृषि भूमि को कृषि योग्य हेतु बनाया व वहां पर 15 आम के पेड व महुए के पेड व बाउण्ड्रीवॉल बनाकर इसका उपभोग व उपयोग कर रहा हूं और पास ही मेरे भाई के परिजन मकान बनाकर निवास भी कर रहे है। नये नम्बर 2956 व 2957 कायम किये गये है जिसमें से सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 है, को प्रतिवादी संख्या एक जो मूल वाद की वादी श्रीमती केसर है के खाते में दर्ज रेकॉर्ड कर लिया, किन्तु सर्वे नं. 2957 रकबा 0.03 है, जिस पर वर्तमान में मैं कालिया काबिज होकर उपभोग–उपयोग कर रहा हूं एवं श्रीमती केसर के खाते से निरस्त करमुझ कालिया की खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड करना रह गया है, जिसे मुझ कालिया के खाते में दर्ज करना आवश्यक है। क्योंकि मूल वाद की वादीया श्रीमती केसर का उक्त भूमि पर न तो हक, हित, कब्जा व स्वामित्व नही है एवं वादीया श्रीमती केसर के धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने [illegible] मुझ प्रतिवादी कालिया जो कि काउन्टर – सूट का वादी [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर का खातेदार घोषित करने हेतु काउन्टर–सूट अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मैनें प्रस्तुत किया है, जिसे स्वीकार किया जावे एवं सर्वे नं. [illegible] रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर, वाके जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा का मुझ प्रतिवादी सं. एक कालिया को खातेदार कृषक घोषित कर वादीया श्रीमती केसर के खाते से निरस्त करने की डिक्री मुझ प्रतिवादी कालिया के पक्ष में प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

बांसवाड़ा के नाम जारी किये जाने एवं अन्य न्यायोचित अनुतोष धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिलाये जाने एवं वादीया का वाद मय हर्जे खर्चे के निरस्त कर काउन्टर सूट की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीया श्रीमती केसर द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है जो मनगढंत व मिथ्या है, जिसमें वर्णित सर्वे नम्बरान पर वादीया का मौके पर न तो स्वामित्व है और न ही आधिपत्य है, ऐसी स्थिति में "No Possession No Injuction" के सिद्धान्त के आधार पर वादीया को धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश करने का कोई हक व अधिकार नही होने से वादीया का वाद काबिल निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

- DW-1 कालिया पिता धुलिया जाति बलाई द्वारा दस्तावेज सर्वे नम्बर 2956 की जमाबंदी संवत 2075 से 78 प्रदर्श–1 व सर्वे नम्बर 2957 की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश की। प्रतिवादी गवाह से वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी का नम्बर मुझे याद नहीं हो बल्कि 2956 है। यह बात गलत है कि आ.नं. 2956 सडक सीमा में आगया हो। अचकुत कहा मुझे अलोट हुआ हैं। यह बात गलत है कि आ.नं. 2956 व 2957 वादीया की पैतृक हो। अचकुत कहा कि उसके पिता ने फर्जि तरिक से अपने नाम चडाई थी। यह कहना गलत है कि आ.नं. 2956 व 2957 कुरिया की हो। अचकुत कहा कि कुरिया के खाते से खतम हो गई है। यह बात गलत है कि मैं केसर की जमीन हडपना चाहता हूँ। यह बात सही है कि आ.नं. 2957 बिलानाम रास्ता दर्ज है।

प्रकरण में दोनो की बहस सुनि गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपने दावे को ही अपनी बहस होना बताया। प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 वर्तमान में प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सर्वे नम्बर 2957 वर्तमान में श्री सरकार दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। बहस पर मनन करने एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2063 से 66 प्रदर्श–01 है। प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत जवाब मय काउण्टरसुट व दस्तावजे जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–1 व जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श 02 का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 01</u> :– आया [illegible] आराजी [illegible] 29[illegible] 2957 वादीया की पैतृक होकर वादीया के खाते व कब्जे की है [illegible] प्रतिवादी [illegible]नाधिकृत हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाने से, वादीया विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई [illegible] करने की अधिकारी है ।

(वादीया साबित करें)

उक्त के समर्थन में वादीया द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श–1 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि **सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 व सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भूमि वादीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। सर्वे नम्बर 2956 सडक सीमा में स्थित है जिस**

प्रतिवादी अतिकमण कर निर्माण कार्य कर रहा है। उक्त तनकी के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–1 व जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश किया गया। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता की वर्तमान में सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 भूमि प्रतिवादी कालिया के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सर्वे नम्बर 2957 0.03 हे0 भूमि बिलानाम काबिल काश्त किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02</u> :– आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा व अधिकार है तथा प्रतिवादी की पुश्तेनी होने से प्रतिवादी के खाते में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

(प्रतिवादी साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–1 व जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश किया। तथा कालिया पिता धुलिया ने अपने शपथ–पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपने पिता के समय उसके कब्जे काश्त हैं सर्वे नम्बर 2956 व सर्वे नम्बर 2957 के पुराने सर्वे नम्बर 3665/2502 रकबा 04 बिस्वा से बने हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी के कब्जे काश्त में मौजुद हैं। उक्त तनकी के विरूद्ध वादीया द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श–1 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 व सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भूमि वादीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 वर्तमान में प्रतिवादी कालिया के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भूमि वर्तमान में श्री सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03</u> :– आया वादग्रस्त सर्वे नम्बर 2956 प्रतिवादी के खातें में दर्ज हे जिस पर वादीया अधिकार नही है, सर्वे नम्बर 2957 वादीया के खातें में है, जिस पर प्रतिवादी का कब्जा है तथा जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है ।

(प्रतिवादी साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–1 व जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश किया। तथा कालिया पिता धुलिया ने अपने शपथ–पत्र में कथन किया कि सर्वे नम्बर 2956 प्रतिवादी के खाते में दर्ज रिकार्ड है। तथा सर्वे नम्बर 2957 प्रतिवादी के पैतृक समय से कब्जे [illegible] कर प्रतिवादी की पैतृक भूमि है इसलिए प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाना [illegible] उक्त तनकी के विरूद्ध वादीया द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 [illegible] पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 व सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भूमि वादीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 वर्तमान में प्रतिवादी कालिया के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। सर्वे नम्बर 2957

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

रकबा 0.03 हे0 भूमि वर्तमान में श्री सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04</u> :– आया वादग्रस्त भूमि पर वादीया का मौके पर कोई कब्जा नही होने से धारा 188 का वाद निरस्ती है। (प्रतिवादी साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–1 व जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश किया। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 वर्तमान में प्रतिवादी कालिया के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भूमि वर्तमान में श्री सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 05</u> **अनुतोष** :– तनकी संख्या 01 वादीया के विरूद्ध, तनकी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई है। वादीया की ओर प्रस्तुत दावा व दस्तावेजो तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो एवं दोनो पक्षो की साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 2956 रकबा 0.01 हे0 भूमि वर्तमान् में प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा सर्वे नम्बर 2957 रकबा 0.03 हे0 भूमि वर्तमान में श्री सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीया के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं होने से वादीया स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार नहीं हैं अतः वादीया का वाद खारिज कर वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद खारीज कर वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। इस आशक की डिक्री प्रथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 000058 / 2020

उनवान

1. केसर पुत्री कुरीया बलाई जाति बलाई निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादीगण

बनाम

1. कालिया पिता धुलिया बलाई जाति बलाई निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी हाल अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30/12/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 30/12/25 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	स्टाम्प वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	
मुतफरीक	शून्य	कुल	शून्य
कुल	शून्य		

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा